कार्यालय, आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश

10वॉ तल जवाहर भवन, लखनऊ

पत्रांकः— 462/कार्य0अनु0/2010
दिनॉकः 07 मई, 2010

सहायक आयुक्त/
आहरण वितरण अधिकारी,
ग्राम्य विकास विभाग

विषयः वित्तीय वर्ष 2010—11 में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जिलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0—847/अड़तीस—5—10—27बजट/10 दिनॉक 29.4.2010 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 में ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु रू0 48,,86,36,000/— (रू0 अड़तालिस करोड़ छियासी लाख छत्तीस हजार मात्र) तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख—रखाव एवं अनुरक्षण कार्यो हेतु रू0 4,88,64,000/— (चार करोड़ अट्ठासी लाख चौसठ हजार मात्र) कुल रू0 53,75,00,000/— (रू0 तिरपन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) आयुक्त ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है। शासन द्वारा उक्तानुसार स्वीकृत रू0 53,75,00,000/— (रू0 तिरपन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) आपको इस आशय से आवंटित की जा रही है कि इस धनराशि का आहरण कोषागार, जवाहर भवन से करके निम्न विवरणानुसार चेक/बैंक ड्राफ्ट प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, जल निगम, महाप्रबन्धक, झॉसी डिवीजन, जल संस्थान झॉसी एंव महाप्रबंधक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बॉदा.को उपलब्ध कराया जायेगा

1— प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम (1) निमार्ण कार्यो हेतु रू0 48,,86,36,000/—
(2) अनुरक्षण कार्यो हेतु रू0 3,17,61,600/—
योगः— रू0 52,03,97,600/—

2— महाप्रबंधक झॉसी डिवीजन, जल संस्थान झॉसी—अनुरक्षण कार्यो हेतु रू0 85,51,200/—

3— महाप्रबंधक जल संस्थान चित्रकूटधाम मण्डल बॉदा—अनुरक्षण कार्यो हेतु रू0 85,51,200/—
धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगाः—

1— ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु मात्राकृत धनराशि रू0 48,86,36,000/— प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम शासनादेश सं0—847/अड़तीस—5—10—27बजट/10 दिनॉक 29.4.2010 के संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे, ताकि स्वीकृत धनराशि का व्यय ग्रीष्मऋतु में ही पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जा सके।

2— ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जनपदों द्वारा समय—समय पर राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

3— हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन असेवित/अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित एवं सुरक्षित स्रोत विहीन क्षेत्रों (एन0सी0/पी0सी0/एन0एस0एस0) में किया जायेगा।

4— ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव पर ही किया जायेगा तथा ऐसी ग्रामीण पेयजल योजनाओं जिनके अनुरक्षण का दायित्व ग्राम पंचायतों का है, उस पर इस धनराशि का कदापि व्यय न किया जाय।

Ram prasad

5– उक्त आवंटन का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–आयोजनागत–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ–0101–त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (ए0आर0डब्लू0एस0पी0) (के.50/रा.50–रा.)–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामें डाला जायेगा।

6– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ट संख्या–181 पर कर ली गई है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक: 462/कार्य0/पेयजल/2009–10 दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
6– महाप्रबंधक, झाँसी डिवीजनल जल संस्थान झाँसी।
7– महाप्रबंधक, जल संस्थान चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।
8– नियोजन अनुभाग–4/ग्राम्य विकास अनुभाग–3 ।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2 ।
10– प्रबंध निदेशक यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0 लखनऊ।
11– कैशियर ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश।
12– उप सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5, को शासनादेश सं0–847/अड़तीस–5–10–27 बजट/10 दिनॉक 29.4.2010 के संदर्भ में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री
अपर आयुक्त,(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

Ram prasad

संख्या – 847/अड़तीस–5–10–27बजट/10

प्रेषक,

गिरजा शंकर त्रिवेदी,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–2011 में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–2011 में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु रू0 48,86,36,000/– (रूपये अड़तालीस करोड़ छियासी लाख छत्तीस हजार मात्र) तथा ग्रामीण पेयजल येाजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण कार्यो हेतु रू0 4,88,64,000/– (रूपये चार करोड़ अट्ठासी लाख चौसठ हजार मात्र) कुल रू0 53,75,00,000/– (रूपये तिरपन करोड़ पच्हत्तर लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. निर्माण कार्यो के लिए उक्त स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को तथा अंनुरक्षण के लिए उक्त स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, महाप्रबन्धक, झॉसी डिवीजन, जल संस्थान झॉसी, एवं महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बॉदा को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा कोषागार से आहरित कर चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को धनराशि अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे, ताकि स्वीकृत धनराशि का व्यय ग्रीष्म ऋतु में ही पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जा सके।
3. ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख कालम–3 में अंकित फॉट के अनुसार समय–समय पर राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जायेगी।
4. हैण्डपम्प के अधिष्ठापन असेवित/अनाच्छादित / आंशिक आच्छादित एवं सुरक्षित स्रोत विहीन क्षेत्रों (एन0सी0/पी0सी0/एन0एस0एस0) में किया जायेगा।
5. ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव पर ही किया जायेगा तथा ऐसी ग्रामीण पेयजल योजनाओं जिनके अनुरक्षण का दायित्व ग्राम पंचायतों का है, उस पर इस धनराशि का कदापि व्यय न किया जाय।

28/4/10

D:\Vinod\Financial\Financial Go 2010.doc

(5)

(2)

3— उक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के अनुदान संख्या—13 के लेखाशीर्षक "2215—जलपूर्ति तथा सफाई—आयोजनागत—01— जलपूर्ति —102— ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम—01 — केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ—0101—त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (ए0आर0डब्लू0एस0पी0) (के. 50/रा. 50—रा.) —20 सहायक अनुदान/अंशदान / राज सहायता" के नाम डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या— बी—1—951/दस—2010—231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि।

28/04/10

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।

संख्याः 847 (1)/अड़तीस—5—10—27 बजट/10, तद्दिनॉक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
2. महालेखाकार, (लेखा—परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बॉदा ।
9. महाप्रबन्धक, झॉसी डिवीजन जल संस्थान झॉसी।
10. नियोजन अनुभाग—4 / ग्राम्य विकास अनुभाग—3 ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0—2/वित्त (आय—व्ययक) अनु0—2।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

28/04/10

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।

(5)

(5)

क.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
40	महोबा	124.47
41	बॉदा	68.20
42	चित्रकूट	34.99
43	बाराबंकी	51.21
44	फैजाबाद	34.53
45	अम्बेडकर नगर	40.86
46	सुल्तानपुर	148.75
47	बहराइच	37.92
48	श्रावस्ती	49.24
49	बलरामपुर	59.83
50	गोंडा	99.08
51	सिद्धार्थनगर	77.01
52	बस्ती	41.89
53	संत कबीर नगर	83.84
54	महराजगंज	83.60
55	गोरखपुर	74.80
56	कुशीनगर	51.79
57	देवरिया	78.49
58	आजमगढ़	133.40
59	मऊ	40.11
60	बलिया	133.94
61	फतेहपुर	119.69
62	प्रतापगढ़	70.01
63	कौशाम्बी	48.20
64	इलाहाबाद	136.06
65	जौनपुर	142.65
66	गाजीपुर	103.15
67	चन्दौली	17.26
68	वाराणसी	126.82
69	संत रविदास नगर	17.25
70	मिर्जापुर	69.33
71	सोनभद्र	44.86
	योग	4886.36
	अनरक्षण कार्य हेतु	488.64
	महायोग	5375.00

(रूपये तिरपन करोड़ पच्हत्तर लाख मात्र)

28/04/10

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–847/अड्तीस–5–2010–27 बजट/2010
दिनांक 29 अप्रैल, 2010 का संलग्नक

क.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	सहारनपुर	41.88
2	मुजफ्फरनगर	123.37
3	बिजनौर	121.04
4	मुरादाबाद	51.79
5	रामपुर	21.45
6	ज्योतिबाफूले नगर	30.07
7	मेरठ	107.37
8	बागपत	59.76
9	गाजियाबाद	84.15
10	गौतमबुद्ध नगर	12.47
11	बुलन्दशहर	145.45
12	अलीगढ़	57.54
13	महामायानगर (हाथरस)	36.71
14	एटा	42.03
15	कॉशीराम नगर	32.61
16	मथुरा	39.87
17	आगरा	221.31
18	फिरोजाबाद	68.16
19	मैनपुरी	40.28
20	बदायूँ	63.91
21	बरेली	107.65
22	पीलीभीत	54.38
23	शाहजहाँपुर	40.75
24	खीरी	74.85
25	सीतापुर	60.53
26	हरदोई	80.68
27	उन्नाव	64.49
28	लखनऊ	23.53
29	रायबरेली	31.42
30	फर्रूखाबाद	51.28
31	कन्नौज	61.14
32	इटावा	23.02
33	औरैया	28.20
34	कानपुर देहात	57.90
35	कानपुर नगर	66.73
36	जालौन	63.17
37	झाँसी	56.66
38	ललितपुर	41.97
39	हमीरपुर	53.61

28/04/10